

सूचना

समस्त पैनल लॉयर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियमन 2010 के अनुसार रिटेनर लॉयर की नियुक्ति किया जाना है।

रिटेनर के रूप में नामित पैनल लॉयर अपना समय एकांतिक रूप से विधिक सहायता कार्यों के लिये तथा विधिक सेवा समिति के फँट ऑफिस अथवा परामर्श ऑफिस के लिये उपलब्ध करावेगें। विनियमन के अनुसार रिटेनर लॉयर को देय मानदेय 7,500/- (सात हजार पांच सौ) रूपये प्रतिमाह है। अतएव रिटेनर लॉयर के रूप में नामित होने के लिये इच्छुक पैनल अधिवक्तागण जो उक्त शर्तों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिये रिटेनर के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हो वे दिनांक 30/06/2017 के पूर्व संलग्न प्रारूप में अपनी सहमति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

दिनांक 20.06.2017



(विजय चन्द्र)
सचिव/रजिस्ट्रार
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जबलपुर

19 JUN 2017

प्रारूप
परिशिष्ट "बी"

कार्यालय का नाम— उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील
विधिक सेवा समिति में रिटेनर नियुक्त हेतु प्रस्तावित रिटेनर का संक्षिप्त
व्यक्तिगत विवरण



1. प्रस्तावित रिटेनर का पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. जाति वर्ग :
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता
पिन कोड सहित :
6. संपर्क हेतु
अ. दूरभाष + एस.टी.डी. कोड :
- ब. भोबाइल नंबर :
- स. हैमेल आई.डी. :
7. अधिकृत के रूप में राज्य अधिवक्ता
परिषद में पंजीयन क. व दिनांक :
8. अधिवक्ता का विशेष कार्य अनुभव : सिविल/किमिनल/राजस्व/अन्य
(विवरण सहित)
.....
.....
.....
.....
9. विधिक सेवा के रूप में पेनल लॉयर :
के रूप में कार्य का अनुभव
.....
.....
.....
10. नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थारिटी
(फी एण्ड काम्पीटेंट लीगल सर्विसेस)
रेगुलेशन 2010 के अनुसार पेनल लॉयर
की सहमति (हाँ / नहीं) :
11. लैंक पालकुल पुष्पा धूठ नी
दायान्ति

हस्ताक्षर
प्रस्तावित रिटेनर

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा